PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, Delhi
Sun, 25 Dec 2016, Page 1
Width: 17.19 cms, Height: 11.94 cms, a4, Ref: 28.2016-12-25.25

बच्चे को स्कूल नहीं भेजा तो नहीं लड़ सकते चुनाव

नई दिल्ली। प्रे

बाल अधिकारों के लिए शीर्ष निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्य सरकारों से यह अपील की है कि वे स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दें, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। सिफारिश के मुताबिक यह केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिनके बच्चे 6-14 वर्ष की आयु के हैं। आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा, 'हमने राज्य सरकारों से स्थानीय निकाय के चुनावों और पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के लिए निर्वाचन के नियमों में संशोधन करने की अपील की है।